राजस्व प्रार्थना पत्र 44/2024
जीसीएमएराम नंबर 2022/165
भुगानाराम दत्तक पुत्र लिछमणराम बनाम सरकार

नामान्तकरण के समय भुगानाराम के स्थान पर भगवानाराम दर्ज हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई दूसरी इस्तदुआ भगवानाराम के स्थान पर भुगानाराम के संबंध में चाही गई है जिस हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में भगवानाराम के स्थान भुगानाराम किये जाने की अभिशंषा के संबंध में उल्लेख किया है जिस कारण प्रार्थी की यह इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत पाई गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि भगवानाराम एवं भुगानाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम गौराउ के खाता संख्या 705 एवं 834 में दर्ज खातेदार एवं सहखातेदार नाम भगवानाराम के स्थान पर वास्तविक नाम भुगानाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ग्राम गौराउ के खाता संख्या 705 एवं 834 में दर्ज खातेदार एवं सहखातेदार नाम भगवानाराम के स्थान पर वास्तविक नाम भुगानाराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner